



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
07.05.2019 को निर्णय सुरक्षित
25.6.2019 को निर्णय पारित
विविध अपील [क्षतिपूर्ति] क्रमांक 291/2013

1. बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
शिव मोहन भवन, विधानसभा मार्ग, पंडरी, रायपुर,
तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) (बीमा कंपनी)

----- अपीलकर्ता

बनाम

1. सगनी बाई, पति स्वर्गीय बादशाह सिंह, उम्र लगभग 53 वर्ष
2. रेखा बाई पति स्वर्गीय बादशाह सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष

दोनों निवासी मुड़पार, पोस्ट- कमकापार, तहसील लोहारा,
जिला दुर्ग (छ.ग.)

(दावेदार)

3. कृष्ण कुमार सलामे पति रामलाल सलामे, उम्र लगभग 30 वर्ष
निवासी गिधाली, थाना एवं तहसील मोहला, जिला राजनांदगांव सी.जी.,
4. रामलाल सलामे पति वादी लाल सलामे उम्र लगभग 55 वर्ष
निवासी गिधाली, थाना एवं तहसील मोहला, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

(चालक)

[मालिक]

----- उत्तरदाता

अपीलकर्ता के लिए : श्री एसएस राजपूत, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 1 और 2 के लिए : श्री ए. मजूमदार, अधिवक्ता की ओर से
श्री श्रेयंकर नंदी, अधिवक्ता

सी ए वी आदेश
पार्थ प्रतिम साहू, न्यायाधीश
25/06/2019

1. अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 173 के अधीन यह अपील दायर की है, जिसमें विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, राजनांदगांव (छ.ग.) (संक्षेप में 'दावा न्यायाधिकरण') द्वारा दावा मामला क्रमांक 45/2009 में पारित दिनांक 14.12.2012 के विवादित निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके अधीन विद्वान दावा



न्यायाधिकरण ने दावा आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया, कुल 3,39,000/- रुपए का मुआवजा दिया और अपीलार्थी-बीमा कंपनी पर मुआवजा देने का दायित्व तय किया।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि मृतक लाकेश कुमार ट्रैक्टर-ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं. सी.जी.08-सी-9011 एवं सी.जी.08-सी-9012 पर मजदूरी करता था। दिनांक 13.4.2009 को रात्रि 11 बजे लाकेश कुमार ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपने घर लौट रहा था, लेकिन ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाने के कारण वह गिर गया, ट्रॉली के पहिये के नीचे आ गया, गंभीर रूप से घायल हो गया तथा घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मामले की सूचना संबंधित थाने को दी गई, जिसके आधार पर उत्तरवादी नं. 3 चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के अंतर्गत अपराध कायम कर अपराध क्रमांक 37/09 दर्ज किया गया।

3. दावेदार/उत्तरवादी सं. 1 और 2 ने सड़क दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के कारण 22,66,000/- रुपए का मुआवजा मांगते हुए दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा आवेदन दायर किया। उन्होंने दलील दी है कि मृतक, जो कि संबंधित ट्रैक्टर-ट्रॉली में मजदूर के रूप में कार्यरत था, ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक द्वारा तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटना में मर गया और मृतक की असामयिक मृत्यु से दावेदारों को नुकसान हुआ है।

4. उत्तरवादी सं. 1 और 2 ने दावा आवेदन पर अपना जवाब दायर किया और उसमें की गई दलीलों को नकार दिया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि दुर्घटना की तारीख को मृतक, अपराधी वाहन में मजदूर के रूप में कार्यरत था। उन्होंने आगे दलील दी है कि संबंधित अवधि में अपराधी वाहन का बीमा गैर-आवेदक सं. 3/अपीलकर्ता के पास था और इसलिए मुआवजे के भुगतान के लिए दायित्व, यदि कोई हो, बीमा कंपनी पर होगा।

5. अनावेदक संख्या 3/अपीलार्थी-बीमा कम्पनी ने भी दावा आवेदन में किए गए कथनों को नकारते हुए अपना जवाब दाखिल किया तथा बताया कि दुर्घटना की तिथि को दोषी वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था; ट्रैक्टर-ट्रॉली कृषि प्रयोजन के लिए पंजीकृत है, लेकिन दुर्घटना के समय इसका उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा था तथा मृतक ट्रॉली में यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था।

6. विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने पक्षकारों की दलीलों और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना, दोषी वाहन के चालक की लापरवाही के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप



मृतक लाकेश की मृत्यु हो गई; दुर्घटना की तिथि को, चालक के पास दोषी वाहन चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था, जो दुर्घटना की तिथि को गोबर की खाद के परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा था तथा मृतक मजदूर के रूप में ट्रॉली में यात्रा कर रहा था। दावा न्यायाधिकरण ने आगे निष्कर्ष दर्ज किया कि प्र.पी-7, जो कि दोषी वाहन के स्वामी अर्थात् उत्तरवादी संख्या 4 के पक्ष में 14.7.2008 को जारी किया गया एक कवर नोट है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बीमाधारक द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की कुल राशि 10,832/- रुपये है, जिसमें यात्री के जोखिम को शामिल करने के लिए 100/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान शामिल है और इस प्रकार ट्रॉली में यात्री का जोखिम पॉलिसी में कवर किया गया था। उपरोक्त आधार पर, दावा न्यायाधिकरण ने आंशिक रूप से दावा आवेदन स्वीकार करते हुए, 3,39,000/- रुपये मुआवजे के रूप में दिए तथा अपीलकर्ता बीमा कंपनी पर मुआवजा देने का दायित्व निर्धारित किया।

7. अपीलकर्ता बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का बीमा केवल कृषि उद्देश्य के लिए किया गया था तथा किसान पैकेज पॉलिसी उत्तरवादी संख्या 4 को जारी की गई थी, जबकि दुर्घटना की तिथि पर मृतक विवाह के उपहार के साथ यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। प्राथमिकी (प्रदर्श पी-2) की विषय-वस्तु का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक बाराती के रूप में मुड़पार गांव गया था। उन्होंने आगे अंतिम प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) का हवाला दिया जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत ट्रैक्टर-ट्रॉली बारातियों और विवाह के उपहार के साथ मुड़पार गांव से लौट रही थी। उपरोक्त दो दस्तावेजों के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि दुर्घटना के समय वाहन स्वामी को जारी की गई पॉलिसी किसान पैकेज पॉलिसी थी, लेकिन दुर्घटना की तिथि को ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग बारातियों और विवाह के उपहार सामग्री ले जाने के लिए किया गया था और इस प्रकार दुर्घटना के समय वाहन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, जो बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है और इसलिए दावा न्यायाधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराने का निष्कर्ष गलत है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बीमा पॉलिसी (प्रदर्श डी-4) के अधीन श्रमिक या यात्री का कोई जोखिम कवर नहीं किया गया है।

8. दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित पुरस्कार का समर्थन करते हुए उत्तरवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि बीमा कंपनी ने यात्री के जोखिम को शामिल करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम लिया है और इस आशय का कवर नोट भी जारी किया गया था, जिसे प्रदर्श पी-7 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इसलिए बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी के अधीन अपने दायित्व से बच नहीं सकती है।



9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

10. अंतिम प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) एवं प्राथमिकी (प्रदर्श पी-2) के अवलोकन से पता चलता है कि प्रश्नगत ट्रैक्टर-ट्रॉली, जिसमें बाराती एवं विवाह के उपहार सामग्री थी, के चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मृतक लाकेश ट्रॉली के पहिये के नीचे आ गया तथा घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दावा आवेदन में दावेदारों ने दलील दी है कि संबंधित समय मृतक उस वाहन में मजदूर के रूप में यात्रा कर रहा था, जिसमें गोबर की खाद ले जाई जा रही थी। यह तथ्य सगनी बाई (आ.सा.-1) एवं रेखा बाई (आ.सा.-2) के साक्ष्य में भी आया है। पांडुराम (आ.सा.-3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दुर्घटना की जानकारी होने पर वह मौके पर गया तथा मृतक को मृत अवस्था में देखा। इस साक्षी के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली वहां खड़ी थी तथा ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली खाली थी। इस गवाह ने दुर्घटना के कुछ घंटों बाद ही उसके कहने पर दर्ज किए गए मार्ग सूचना (प्रदर्श पी-4) की विषय-वस्तु से इनकार किया।

11. ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विचारार्थ यह प्रश्न उठता है कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था?

12. दावेदारों ने अपने मामले के समर्थन में दावा अधिकरण के समक्ष कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-6 तक अंकित किया गया है। पांडुराम (आ.सा.-3) वह व्यक्ति है, जिसके कहने पर विलय की सूचना (प्रदर्श पी-4) दर्ज की गई। वह भी सुअरपाल गांव का निवासी है। यद्यपि इस साक्षी ने दुर्घटना के समय ट्रॉली में विवाह के उपहार की वस्तुएं ले जाए जाने की बात से इनकार किया है, लेकिन अपनी जिरह के पैरा-2 में स्वीकार किया है कि जब वह प्रतिवेदन दर्ज कराने थाने गया था, उस समय बिदेराम और तुलसीराम भी उसके साथ थे। मार्ग सूचना (प्रत्यक्ष पी-4) के आधार पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी (प्रत्यक्ष पी-2) दर्ज की गई, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली में बाराती और शादी के उपहार सामग्री ले जाई जा रही थी। जांच के दौरान द.प्र.सं. की धारा 161 के अधीन नौ गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए, जिनमें पांडुराम, बिदेराम और तुलसीराम शामिल थे और उसके बाद अंतिम प्रतिवेदन दायर की गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग शादी के उपहार सामग्री के साथ बारातियों को ले जाने के लिए किया जा रहा था।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेमलता शुक्ला एवं अन्य [(2007) 3 एससीडब्लू 3591] के मामले में निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:-



“13. यद्यपि दुर्घटना का तथ्य प्रथम सूचना प्रतिवेदन से भी सिद्ध किया जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एक बार दस्तावेज की सामग्री का एक हिस्सा साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे अभिलेख पर लाने वाले पक्ष को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि शेष भाग में निहित अन्य सामग्री सिद्ध नहीं हुई है। दोनों पक्षों ने इस पर भरोसा किया है। इसे एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया था क्योंकि दोनों पक्षों ने इस पर भरोसा करने का इरादा किया था।”

14. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति उसी गांव का निवासी है, उससे गवाह के रूप में भी पूछताछ की गई और दुर्घटना के कुछ घंटों के भीतर प्राथमिकी भी दर्ज की गई। पुलिस द्वारा धारा 161 द.प्र.सं. के अधीन उसका बयान भी दर्ज किया गया। कानून में यह स्थापित स्थिति है कि जब कोई पक्ष किसी विशेष तथ्य को साबित करने के लिए किसी दस्तावेज की विषय-वस्तु पर निर्भर करता है, तो उसे बाद के चरण में उस दस्तावेज में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में, दावा न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग गोबर की खाद ले जाने के लिए किया जा रहा था, संधारणीय नहीं है और इसके द्वारा इसे अपास्त किया जाता है।

15. जैसा कि ऊपर माना गया है कि दुर्घटना की तिथि पर ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग बारातियों और विवाह के उपहार की वस्तुओं को ले जाने के लिए किया जा रहा था, इसलिए अब यह देखा जाना है कि क्या आपत्तिजनक वाहन का उपयोग ऐसे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और क्या विवाह के उपहार की वस्तुओं के साथ ट्रॉली पर बैठे व्यक्ति का जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत आता है या नहीं?

16. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य ने 'एमपी मोटर वाहन नियम, 1994' के नाम से नियम बनाए थे। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात, मोटर वाहन नियम, 1994 को नव निर्मित छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत अपनाया गया है तथा अब इसे 'छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994' (संक्षेप में 'नियम 1994') के नाम से जाना जाता है। ये नियम 1988 के अधिनियम की धारा 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 159, 176, 211 एवं 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। 1994 के नियम 97 में मालवाहक वाहन में व्यक्ति के परिवहन से संबंधित प्रावधान है। नियम 97 का सुसंगत भाग नीचे उद्धृत है:-

“97. माल गाड़ी में व्यक्ति का वहन।-

(1) किसी व्यक्ति को माल गाड़ी में वास्तविक कर्मचारी या मालिक या किराएदार के अलावा और कानून के अनुसार ही ले जाया जाएगा।



(2) xxxxxxxx

(3) xxxxxxxx

(4) xxxxxxxx

(5) किसी भी व्यक्ति को किसी भी माल गाड़ी में नहीं ले जाया जाएगा—

(i) जब तक कि वाहन के फर्श का कम से कम 3600 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र ऐसे व्यक्ति के लिए खुला न रखा जाए

(ii) इस तरह से—

(क) कि ऐसे व्यक्ति को माल पर या अन्यथा ले जाने पर वाहन से गिरने का खतरा हो।

(ख) कि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा, यदि वह बैठा हुआ है, तो उस सतह से तीन मीटर से अधिक ऊंचाई पर न हो जिस पर वाहन टिका हुआ है।

(7)

उप-नियम (1) और (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, लेकिन उप-नियम (5) के प्रावधानों के अधीन, ऐसे ट्रैक्टर-ट्रेलर को छोड़कर जो पंजीकृत हैं औद्योगिक संगठन, नगर निगम संस्था, जलापूर्ति संस्था और गैर-कृषि सहकारी समितियों का नाम और जिसका भार रहित भार 7300 किलोग्राम से अधिक न हो, का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजन के लिए किया जा सकता है:—

(i) xxx xxx xxx

(ii) मेला, बाजार, धार्मिक समारोह, विवाह और अन्य समारोहों के समय व्यक्तियों को ले जाने के लिए, बशर्ते कि इस प्रकार ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक बार में 20 से अधिक न हो।"

17. नियम 97 के अवलोकन से यह प्रदर्शित होगा कि यह नियम मालवाहक में यात्रियों को ले जाने की अनुमति देता है, बशर्ते कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए फर्श पर खुली जगह उपलब्ध हो। इसमें आगे विशेष रूप से यह परिकल्पना की गई है कि कृषि प्रयोजन के लिए बीमाकृत ट्रैक्टर का उपयोग मेला, बाजार, धार्मिक समारोह, विवाह और अन्य समारोहों में व्यक्तियों को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक बार में 20 से अधिक न हो।

18. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के दृष्टिकोण में, दुर्घटना की तिथि पर दोषी वाहन में बाराती और विवाह के उपहार के सामान थे, जिस पर मृतक भी यात्रा कर रहा था। नियम 1994 के नियम 97 के अनुसार माल गाड़ी में बारातियों को ले जाने की अनुमति है, लेकिन एक शर्त जोड़ा गया है कि एक बार में 20 से अधिक बाराती नहीं होने चाहिए।



अपीलकर्ता बीमा कंपनी का यह मामला नहीं है कि दुर्घटना के समय ट्रॉली में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक थी। अभिलेख में ऐसा कोई सामग्री और साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो दर्शाता हो कि दुर्घटना के समय ट्रॉली में 20 से अधिक व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। यहां तक कि यह दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है कि मृतक की यात्रा के लिए ट्रॉली में पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ट्रॉली पर यात्रा करते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्घटना की तिथि पर ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली में विवाह के उपहार के सामान के साथ व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति थी।

19. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतक, जो विवाह के उपहार के सामान के साथ ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली में यात्रा कर रहा था, का जोखिम बीमा कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है?

20. दावेदारों ने प्रीमियम राशि 10,832/- रुपये स्वीकार करते समय पॉलिसी धारक/अपराधी वाहन के मालिक को 10 14.7.2008 को जारी कवर नोट की प्रति प्रस्तुत की है, जो अभिलेख का हिस्सा है। कवर नोट (प्रदर्श पी-7) पर संख्या BZ0800496780 अंकित है। 6.8.2008 को जारी पॉलिसी (प्रदर्श डी-4) के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें भी वही कवर नोट संख्या अंकित है। इस प्रकार, इन दोनों दस्तावेजों अर्थात् प्रदर्श पी-7 और प्रदर्श डी-4 में उल्लिखित संख्या एक ही है अर्थात् BZ0800496780। बीमा पॉलिसी (प्रदर्श डी-4) में कुल प्रीमियम 10,832/- रुपए के भुगतान का उल्लेख है, लेकिन इस राशि का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। यद्यपि, कवर नोट में प्रीमियम गणना खंड संख्या 11 में दी गई है, जिसके अनुसार कुल प्रीमियम 10,832/- रुपए प्राप्त हुआ, जिसमें मालिक-चालक कवर के लिए 100/- रुपए, भुगतान किए गए चालक के लिए 25/- रुपए, यात्रियों के लिए 100/- रुपए शामिल हैं। अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने अपने विधि अधिकारी पुनीत राठौर की अना.सा.3-1 के रूप में जांच की। यह गवाह स्वीकार करता है कि कवर नोट में उल्लिखित संख्या बीमा पॉलिसी में भी जगह पाती है। वह आगे स्वीकार करता है कि यदि कंपनी ने कवर नोट जारी किया होता तो यह उसी नंबर का होता, जैसा कि पॉलिसी (प्रदर्श डी-4) में उल्लेख किया गया है।

21. उपरोक्त साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि कवर नोट (प्रदर्श पी-7) एवं बीमा पॉलिसी (प्रदर्श डी-4) में उल्लिखित संख्या एक ही है। जब एक बार कवर नोट में कुल प्रीमियम राशि का विवरण दिया जाता है, जिसके आधार पर बीमा पॉलिसी जारी की गई थी, तो ऐसी स्थिति में जहां बीमा पॉलिसी में प्रीमियम राशि या अनुसूची का विवरण नहीं दिया गया है, तो प्रीमियम की



व्याप्ति के उद्देश्य से बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी कवर नोट में दिए गए ब्यौरे को अवश्य ही ध्यान में रखा जा सकता है।

22. बहस के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति उठाई गई कि कवर नोट (प्रदर्श पी-7) एक फोटोकॉपी है तथा मूल कवर नोट प्रस्तुत नहीं किया गया है। कवर नोट जारी करने की प्रक्रिया यह है कि केवल एक प्रति वाहन के मालिक/पॉलिसी के क्रेता को जारी की जाती है और कवर नोट की दूसरी प्रति सरकारी अभिलेख का हिस्सा बना दी जाती है जिसके आधार पर अगली तारीख को बीमा पॉलिसी जारी की जाती है। इस न्यायालय ने दिनांक 9.5.2014 के आदेश के अधीन अपीलकर्ता को कवर नोट (प्रदर्श पी-7) दाखिल करने का निर्देश दिया। 20.9.2018 को भी इस न्यायालय ने अपीलकर्ता बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता को दिनांक 9.5.2014 के आदेश के अधीन जारी निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया, लेकिन अपीलकर्ता अपने कार्यालय में उपलब्ध कवर नोट पेश करने में विफल रहा और इस संबंध में कोई शपथ पत्र भी दाखिल नहीं किया गया।

23. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब कवर नोट की संख्या जो प्रदर्श पी-7 में उल्लिखित है और अना. सा.-3 के अनुसार यदि कवर नोट किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है तो कवर नोट की संख्या बीमा पॉलिसी में उल्लिखित संख्या के समान होगी, इस न्यायालय का मत है कि कवर नोट (प्रदर्श पी-7) की फोटोकॉपी, जो दावा न्यायाधिकरण के अभिलेख के पृष्ठ संख्या 55 पर उपलब्ध है, वही कवर नोट है जो प्रीमियम की राशि प्राप्त होने के समय और पॉलिसी जारी करने से पहले जारी किया गया था।

24. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि बीमा कंपनी ने यात्रियों के जोखिम को शामिल करने के लिए 100/- रुपये लिए हैं। जब एक बार बीमा कंपनी यात्री के लिए प्रीमियम स्वीकार करती है या चार्ज करती है तो वह यात्री के जोखिम को भी कवर करती है। वर्तमान मामले में, दावा केवल एक यात्री के संबंध में है।

25. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भाव सिंह बनाम साविरानी एवं अन्य के मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जो 2008 (1) एमपीएलजे 72 में प्रतिवेदन किया गया था, जिसमें पूर्ण पीठ ने यह राय व्यक्त की थी कि नियम 97, 1988 के अधिनियम की धारा 147 के अधीन जोखिम को स्वतः कवर नहीं करता है और इस प्रकार माना गया है; -

“12. सरवनलाल एवं अन्य (पूर्वोक्त) में खंडपीठ के निर्णय के संबंध में, हम पाते हैं कि खंडपीठ ने न केवल जुगल किशोर (पूर्वोक्त) में पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है,



बल्कि मोटर वाहन नियम, 1994 (संक्षेप में '1994 के नियम') के नियम 97 के खंड (vii) पर भी भरोसा किया है, जो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा बनाया गया है। जहां तक जुगल किशोर (पूर्वोक्त) में पूर्ण पीठ के निर्णय का संबंध है, हम पहले ही कानून की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। नियम 1994 के नियम 97 के खंड (7) के संबंध में, हम पाते हैं कि नियम 1994 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 96 और विशेष रूप से उप-धारा (2) (xxxi) के अधीन बनाए गए हैं, जो यह प्रावधान करता है कि पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 96 के अधीन नियम बनाए जा सकते हैं। मालवाहक वाहनों में चालक के अलावा अन्य व्यक्तियों के परिवहन के लिए। अधिनियम के अध्याय-V में धारा 96 रखी गई है जो 'परिवहन वाहनों के नियंत्रण' से संबंधित है। अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) में कहा गया है कि राज्य सरकार अध्याय-V के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है। इसलिए, अधिनियम के अध्याय-V के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1994 के नियमों का नियम 97 बनाया गया है, जो, जैसा कि हमने देखा है, 'परिवहन वाहनों के नियंत्रण' से संबंधित है। ये नियम स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 145 और 147 सहित अधिनियम के अध्याय-XI के प्रावधानों की व्याख्या करने में असर नहीं डाल सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, किसी यात्री या कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने के लिए बीमाकर्ता का दायित्व अधिनियम की धारा 147 या बीमा पॉलिसी की शर्तों के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाएगा। इस प्रकार, सरवन लाल (पूर्वोक्त) में डिवीजन बेंच का निर्णय, जहाँ तक वह यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए बीमाकर्ता को उत्तरदायी ठहराने के लिए 1994 के नियमों के नियम 97 पर निर्भर करता है, सही कानून नहीं बनाता है।”

26. भाव सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय न्यायालय ने पाया कि यात्री के लिए कोई प्रीमियम नहीं दिया गया था और आगे यह माना कि बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमाकर्ता की देयता बीमा पॉलिसी की शर्तों द्वारा शासित होगी। वर्तमान मामले में, यात्रियों के जोखिम को शामिल करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रीमियम लिया गया था।

27. करमचंद और अन्य बनाम बुधनी बाई और अन्य [(2011) 4 एमपीजेआर 14] और राधिका बनाम मिनकेतन नायक [(2011) एएसी 325] में प्रतिवेदन किए गए मामले में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए अन्य दो निर्णयों में, जिसमें नियम 1994 के नियम 97 पर विचार किया गया था। दोनों मामलों में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच



बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई संविदात्मक देयता नहीं थी क्योंकि दोनों मामलों में यात्रियों के लिए कोई प्रीमियम नहीं दिया गया था, जबकि मामले में बीमाकर्ता ने यात्रियों के लिए प्रीमियम लिया और स्वीकार किया। उपर्युक्त मामले के तथ्य अलग-अलग हैं।

28. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सरजेराव एवं अन्य [एआईआर 2008 एससी 460] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बृजमोहन [एआईआर 2007 एससी 1971] के मामले में अपने पहले के निर्णय पर विचार करते हुए, यह माना है कि जहां तक ट्रॉली में यात्रा करने वाले मजदूरों के संबंध में दायित्व का सवाल है, बीमा कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

29. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए उपरोक्त निर्णय गलत हैं। उपर्युक्त मामलों में दुर्घटना 1994 से पहले हुई थी और राज्य द्वारा बनाए गए किसी नियम का कोई उल्लेख नहीं था, जबकि वर्तमान मामले में, राज्य ने विवाह के उद्देश्य से ट्रैक्टर-ट्रॉली के उपयोग की अनुमति देने वाले नियम बनाए हैं।

30. इस मामले में, बीमा कंपनी ने यात्रियों के जोखिम को शामिल करने के लिए 100 रुपये का प्रीमियम स्वीकार किया है और 1994 के नियम 97 में ही प्रावधान है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल शादी के समारोहों के समय यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा सकता है। बीमा पॉलिसी पक्षों के बीच एक अनुबंध है और बीमा कंपनी ने प्रीमियम स्वीकार करके ट्रैक्टर-ट्रॉली में यात्रा करने वाले यात्रियों के जोखिम को शामिल करने के लिए अनुबंध किया है, तो इस विशेष मामले के उद्देश्य के लिए, बीमा कंपनी उन यात्रियों के जोखिम को शामिल करने के लिए उत्तरदायी है जो शादी के उपहार के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में यात्रा कर रहे थे।

31. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तथा 1994 के नियम 97 के प्रावधानों के आलोक में, मेरा मानना है कि बीमा पॉलिसी की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है और इसलिए बीमा कंपनी अपने संविदात्मक दायित्व के अधीन दुर्घटना करने वाले वाहन के बीमित मालिक को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है।

32. यद्यपि मैं ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली पर यात्रा कर रहे मृतक की स्थिति के संबंध में दावा न्यायाधिकरण के निष्कर्ष से सहमत नहीं हूं, लेकिन, ऊपर की गई चर्चाओं के दृष्टिकोण में, मुझे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं लगता कि चूंकि मृतक दुर्घटना करने वाले वाहन में विवाह के



उपहार के सामान के साथ यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसका जोखिम पॉलिसी के अधीन कवर नहीं किया गया था।

33. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या बीमा कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या उसकी सीमित देयता होगी?

34. मृतक अपराधी वाहन में सवार था और बीमा कंपनी ने उस पर सवार व्यक्ति के लिए 100/- रुपए का शुल्क लिया। इसलिए बीमा कंपनी अनुबंध के अनुसार सीमित देयता के लिए उत्तरदायी होगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम चल्ला भारतम्मा एवं अन्य [(2004) 8 एससीसी 517] में प्रतिवेदन किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भुगतान और वसूली के प्रस्ताव पर विचार किया और इस प्रकार माना:—

“13. शेष प्रश्न यह है कि उचित निर्देश क्या होगा। अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ता के लिए पुरस्कार को संतुष्ट करना उचित होगा, यद्यपि कानून में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ मामलों में बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति से राशि वसूलने का विकल्प और स्वतंत्रता दी गई है। मालिक से भुगतान की गई राशि वसूलने के उद्देश्य से बीमाकर्ता को मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है जैसे कि बीमाकर्ता और मालिक के बीच विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारण का विषय था और मुद्दा मालिक के खिलाफ और बीमाकर्ता के पक्ष में तय किया गया है। दावेदारों को राशि जारी करने से पहले, आपत्तिजनक वाहन का मालिक पूरी राशि के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा जो बीमाकर्ता दावेदारों को देगा। उल्लंघन करने वाले वाहन को सुरक्षा के एक भाग के रूप में कुर्क किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सहायता लेगा। निष्पादन न्यायालय कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा कि वाहन का मालिक किस तरह बीमाकर्ता को भुगतान करेगा। यदि कोई चूक होती है तो निष्पादन न्यायालय को प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों के निपटान या वाहन के मालिक यानी बीमाधारक की किसी अन्य संपत्ति या संपत्तियों से वसूली का निर्देश देने का अधिकार होगा। इस मामले में शामिल राशि पर विचार करते हुए हम बीमाकर्ता के विवेक पर यह निर्णय छोड़ते हैं कि वह बीमाधारक से राशि की वसूली के लिए कदम उठाएगा या नहीं।”



35. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनुरा खातून एवं अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह एवं अन्य [(2017) 4 एससीसी 796] के मामले में वेतन एवं वसूली के मुद्दे पर पुनः विचार किया और इस प्रकार निर्णय दिया:-

“14. हमारे मतानुसार, उपरोक्त प्रश्न अब और विचारणीय नहीं रह गया है। जैसा कि हम देखते हैं, यह इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ और दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पूर्व में दिए गए कई निर्णयों का विषय था, अर्थात्, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर और अन्य [(2004) 2 एससीसी 1], नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चह्ला उपेंद्र राव और अन्य [(2004) 8 एससीसी 517] नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कौशल्या देवी और अन्य [(2008) 8 एससीसी 246] नेशनल इंश्योरेंस कोल लिमिटेड बनाम रोशन लाल, (एसएलपी संख्या 5699/2006 में दिनांक 19.1.2007 का आदेश), और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पार्वथनेनी और अन्य [(2009) 8 एससीसी 785]

15. यह प्रश्न हाल ही में प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम साजू पी. पॉल और अन्य में भी विचार के लिए आया था। अन्य, (पूर्वोक्त) जिसमें इस न्यायालय ने उपर्युक्त विषय पर संपूर्ण पूर्ववर्ती मामले कानून का संज्ञान लिया तथा अधिनियम की धारा 147 के संदर्भ में प्रश्न की जांच की। उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए, तथ्यों के आधार पर यह माना गया कि चूंकि पीड़ित "अनावश्यक यात्री" के रूप में आपत्तिजनक वाहन में यात्रा कर रहा था, इसलिए बीमा कंपनी को बीमा पॉलिसी के आधार पर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली देयता को वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यद्यपि, इस न्यायालय ने अधिनियम के हितैषी उद्देश्य तथा मामले में उत्पन्न होने वाले अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, बीमा कंपनी के विरुद्ध आदेश जारी किया कि वह दावेदारों को दी गई राशि का भुगतान करे तथा फिर उसी कार्यवाही में "भुगतान करें और वसूल करें" के सिद्धांत को लागू करते हुए बीमाधारक से उक्त राशि वसूल करे।

21. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिकोण में हमारा विचार है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (उत्तरवादी संख्या 3) – वे उस वाहन के बीमाकर्ता हैं जो अपने चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना का कारण बना पाया गया था – को निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें उन्हें (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी-उत्तरवादी संख्या 3) को निर्देश दिया जाए कि वे पहले अपीलकर्ताओं (दावेदारों) को दी गई राशि का भुगतान करें





और फिर सजू पी. पॉल के मामले के पैरा 26 में उल्लिखित कानून के अनुसार इस मामले में होने वाली 17 कार्यवाही के निष्पादन में दोषी वाहन (टाटा सूमो) के मालिक-उत्तरवादी संख्या 1 से भुगतान की गई राशि वसूल करें।

36. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांतों और वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश जारी करना उचित होगा कि अपीलकर्ता-बीमा कंपनी पहले मुआवजे की पूरी राशि जमा करेगी और उसके बाद 100 रुपये के प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए अपने संविदात्मक दायित्व से केवल अतिरिक्त मुआवजे की राशि वसूल करेगी।

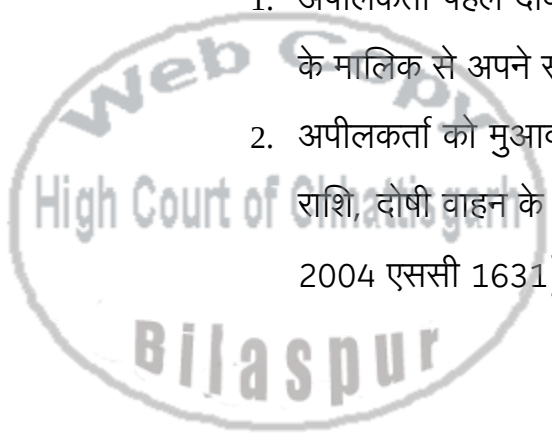
37. उपर्युक्त चर्चाओं के लिए, अपील को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है:

1. अपीलकर्ता पहले दावेदारों को मुआवजे की राशि का भुगतान करेगा और उसके बाद दोषी वाहन के मालिक से अपने संविदात्मक दायित्व से अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूल करेगा।
2. अपीलकर्ता को मुआवजा राशि यानी पॉलिसी के अधीन अपने दायित्व से अतिरिक्त मुआवजे की राशि, दोषी वाहन के मालिक से, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नंजप्पन [एआईआर 2004 एससी 1631] के मामले में दिए गए तरीके से वसूलने की स्वतंत्रता होगी।

सही/-

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

